5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

20 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(152)

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

R-3013-I-16

प्र.कं. / 2016 ~~2016 पुनरीक्षण~~ पुनर्विलोकन

सरफुद्दीन पुत्र रसूल खां आयु 70 साल निवासी नया बालापुरा मस्जिद के सामने श्योपुर तेहसील श्योपुर जिला श्योपुर म.प्र.

..... आवेदक

विरूद्ध

1. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी स्वर्गीय श्री ओमप्रकाश
2. यदुनन्दन कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जी बंसल
3. गणेश कुमार पुत्र श्री ओमप्राकश बंसल
4. चेतन कुमार पुंत्र श्री ओमप्रकाश बंसल
5. पिनांक कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश बसंल

समस्त निवासियान मैन बाजार श्योपुर म.प्र.

6. श्रीमती सुशीला पुत्री ओमप्रकाश बंसल पत्नी राधेश्याम मित्ताल निवासी दादाबाडी कोटा राजस्थान
7. श्रीमती हेमलता गर्ग पुत्री ओमप्रकाश बसंल पत्नी अशोक कुमार जी गर्ग निवासी बूंदी राजस्थान
8. श्रीमती गायत्री पुत्री ओमप्रकाश जी पत्नी विनोद कुमार अग्रवाल निवासी रतलाम म.प्र.
9. श्रीमती यमुना पुत्री ओमप्रकाश पत्नी श्री विजय कुमार गर्ग निवासी बून्दी राजस्थान

मुकेश भार्गव एडवोकेट 07-9-16

7-9-16

मुकेश भार्गव 7-9-16 एडवोकेट ग्वालियर

10. श्रीमती भारती गुप्ता पुत्री ओमप्रकाश पत्नी दिनेश गुप्ता निवासी जयपुर राजस्थान

11. सुरेन्द्र कुमार पुत्र माधोलाल बसंल आयु 56 साल जाति वैश्य निवासी मैन बाजार सुनारों के मंदिर के सामने श्योपुर जिला श्योपुर

..... अनावेदकगण

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 2778–।/2016 मं पारित आदेश दिनांक 17.08.2016 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत पुनर्विलोकन आवेदन ।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कुछ ऐसी भूल है जिनके कारण आदेश पुनर्विलोकन योग्य है।

2– यहकि, आवेदक द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण ज्ञापन में उठाई गई समस्त आपत्तियों पर विचार एवं विनिश्चयन नहीं किया गया है। इस कारण इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश पुनर्विलोकन योग्य है।

3– यह कि, आवेदक द्वारा पुनरीक्षण ज्ञापन में उठाई गई आपत्तियों का आदेश में न तो उल्लेख हो सका है और न ही उसका विनिश्चयन किया गया है यह अलिेख से प्रत्यक्षदर्शी त्रुटि है । जिसके कारण आदेश पुनर्विलोकन योग्य है। इस संदर्भ में निम्न न्याय दृष्टांत अवलोकनीय है – 1981 रा.नि. 43, 1973 रा. नि. 188

4– यह कि, माननीय इस न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 50 के उपबंध पर विचार नहीं हो सका है। इस उपबंध के परीक्षण किये बिना अर्थात अधीनस्थ

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 3073–एक/2016 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
20–3–18	आवेदक अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। अनावेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 वाजपेयी उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्तागण ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 2778–एक/16 में पारित आदेश दिनांक 17.08.16 के विरूद्व प्रस्तुत प्र0 क्र0 रिव्यु 3073–एक/16 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण क्रमांक निगरानी 2778–एक/16 में वर्णित है। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 17.08.16 से किया जा चुका है। 4–प्रकरण क्रमांक 3073–एक/2016 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं।	

प्रकरण कमांक रिव्यु 3073–एक/2016 उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य